rojgar with ankit

उच्च न्यायालय High Court

Art 217(1)
↳ उच्च न्यायालय मे न्यायधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
The Judges of the High Court shall be Appointed by president.

Art 217(2)
↳ उच्च न्यायालय के न्यायधीशो की योग्यताएँ
Qualification of Judge of High Court.

* वह भारत का नागरिक हो He should be citizen of India.
* वह 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो
He must have held a Judicial post For 10 years.
* वह 10 वर्ष तक भारत के H.C मे पदस्थ रहा हो। वकील Advocate
He must have been posted in the H.C of India for 10 year.

Art 219 – H.C के न्यायधीशो को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे
The Governor will administer the oath to the Judge of the H.C.

Art 220
↳ H.C के न्यायधीशो पर प्रतिबंध
Restrictions on High Court Judge.

जिस High Court मे Judge ने सेवाऐ / Services की हो को छोड़कर किसी भी Court मे वकालत Practice कर सकते है।

rojgar with ankit

Art 221 – High Court के न्यायधीशो का वेतन
Salary of Judge of the H.C

* मुख्य न्यायधीश 2.50 लाख Chief Justice 2.50 lakh
* अन्य न्यायधीश 2.25 लाख
* वेतन - राज्य की संचित निधि से
  Salary - From the Consolidated Fund of the State.
* पेंशन - भारत की संचित निधि से
  Pension - From the Consolidated Fund of India.

Art 222
↳ H.C के न्यायधीशो का स्थानांतरण
Transfer of Judge of the H.C

* भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनका Transfer होता है।
  They are transferred by the President on the advise of the Chief Justice of India.

Art 223 – H.C मे कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति
Appointment of Acting Chief Justice of the High Court.

* राष्ट्रपति द्वारा By President.

Art 224 – H.C मे अपर एवं कार्यकारी न्यायधीश की नियुक्ति
↳ अतिरिक्त

Appointment of Additional and Acting Judge in the H.C

* राष्ट्रपति द्वारा 2 वर्ष के लिए की जाती है।
  Appointment by the President For 2 years.

Art 224 (A) – H.C मे सेवानिवृत्त न्यायधीशो की नियुक्ति
Appaintment of retiered Judge In the H.C

↳ इसे 15वां संविधान संशोधन अधि॰ 1963 द्वारा जोडा गया
It was added by the 15th Constitution Amendment Act in 1963.

* ऐसा तब किया जाता है जब H.C मे गणपूर्ति न हो
This is done when there is no quarum in the H.C

* कार्यकाल – 62 वर्ष Tenure – 62 वर्ष

कार्यकाल – पहले – 60 वर्ष
वर्तमान – 62 वर्ष

Art 226 – H.C writ जारी करेगा
H.C shall issue writ.
5 प्रकार के रिट जारी करता है।

Art 227 – H.C का क्षेत्राधिकार
Jurisdiction of High Court
↳ राज्य के सभी न्यायालय / All court of State – H.C के Contoral मे

Art 231 – दो या दो से अधिक राज्यो या UT के लिए एक ही H.C हो सकता है।
There can be only one H.C For two or more States and UT's.

rojgar with ankit

Art 235 - अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण का प्रावधान
provision For Control of Subordinate Courts

Art 241 - केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अलग High Court बनाया जा सकता है
A Separate H.C can be Created For Union Territories.

Note - वर्तमान में कुल H.C - 25

25 वाँ H.C - आन्ध्रप्रदेश H.C
स्थापना - 1 Jan 2019

Art 233 - जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
Appaintment of District Judge
↳ राज्यपाल द्वारा By Governor.

Art 234 - जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक की नियुक्ति
↳ राज्यपाल

1. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

स्थापना तिथि - 2019

अधिकार क्षेत्र-आंध्र प्रदेश

मुख्य पीठ - आंध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती-जस्टिस सिटी

2. त्रिपुरा उच्च न्यायालय

स्थापना तिथि -2013

अधिकार क्षेत्र - त्रिपुरा

मुख्य पीठ - अगरतला

3. मणिपुर उच्च न्यायालय

स्थापना तिथि - 2013

अधिकार क्षेत्र - मणिपुर

मुख्य पीठ - इम्फाल

4. मेघालय उच्च न्यायालय

स्थापना तिथि-2013

अधिकार क्षेत्र - मेघालय

5. झारखंड उच्च न्यायालय

स्थापना तिथि-2000

अधिकार क्षेत्र झारखंड

मुख्य पीठ - रांची

खंडपीठ - धारवाड़, गुलबर्गा

15. गुवाहाटी उच्च न्यायालय

स्थापना तिथि (1948)

अधिकार क्षेत्र - अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड

मुख्य पीठ - गुवाहाटी

खंडपीठ - आइजोल, ईटानगर, कोहिमा

16. उड़ीसा (ओडिशा) उच्च न्यायालय

स्थापना तिथि (1948)